126/P/25
जगिरसिंह / डेनिका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नकल वकील अपार्थी दिलाई जाकर शा. मिसल किया गया / वास्ते पेश करने तलबी / तलबाना दिनांक - 8/10/25 को पेश हो तब तक T. I. अवधि बढ़ाई जाती है।
8/10/25	पत्रावली पेश / बइंतजार तामिल प्राप्ति कद दिनांक - 3/12/25 को पत्रावली पेश हो / तब तक T. I. अवधि बढ़ाई जाती है
3/12/25	पत्रावली पेश / प्रार्थी / ~~वकील~~ अपार्थी सरवां प्रार्थी 4, 5, 6 उप० है / राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक के शा. मिसल किया गया / पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज की गई / वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक - 10/12/2025 को पेश हो तब तक T. I. अवधि बढ़ाई जाती है
	पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्या.रोक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक.............. को पेश हो
10/12/25	पत्रावली पेश / प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र वास्ते पक्षकारान मे आपसी राजीनामा हो जाने से "Not press" मे खारीज किये जाने का निवेदन किया गया /

प्रार्थी जागीरसिंह
अपार्थी गण

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह्काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: प्रा॰पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण "Not press" में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

प्रकरण संख्या– 126/प्रा.पत्र/24

जागीर सिंह बनाम देविका वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,183,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

राजीनामा

मान्यवर,

पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण मे राजीनामा कर लिया है:–

1 मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त भूमियां वाके ग्राम बडानयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो उक्त संपूर्ण वादग्रस्त भूमियां वादी/प्रार्थी के पिता स्वर्गीय बिशनसिंह आ0 जगसिंह जाति पंजाबी जटसिख निवासी बडानयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा वर्ष 2005 मे प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी/अप्रार्थी देविका पुत्री रविन्द्र अग्रवाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान कर कब्जा संभला दिया था। तथा उक्त भूमि देविका की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई।

2 यह कि तत्पश्चात देविका द्वारा उक्त भूमियां प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी/अप्रार्थीगण कुन्दन गुर्जर, सतीश गुर्जर एवं राकेश गुर्जर को संयुक्त रूप से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान की जा चुकी है जिस पर उक्त केतागण काबिज है और खातेदार काश्तकार होकर काबिज चले आ रहे है।

3 यह कि वादी यह स्वीकार करता है कि मेरे पिता बिशनसिंह तथा मेरी एवं मेरे वारिसान की जाति पंजाबी जट सिख है तथा मजहबी सिख नही है और हम अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य नही है और उक्त भूमि बाबत जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पिता बिशनसिंह एवं देविका द्वारा निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाए गए है वे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वैध है एवं उनमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नही है। तथा भूमियां प्रतिवादी/अप्रार्थीगण देविका एवं तत्पश्चात कुन्दन गुर्जर,सतीश गुर्जर, एवं राकेश गुर्जर की खातेदारी में दर्ज की गई है जो सही दर्ज है और भूमियों पर पूर्व में देविका एवं वर्तमान में केतागण खातेदार का कब्जा चला आ रहा है। इसमें मै वादी एवं मेरे वारिसान सहमत है तथा हमें कोई आपत्ति नही है। मेरा एवं मेरे वारिसान का विक्रय के पश्चात भूमियों पर कभी कब्जा नही रहा ह।

4 यह कि उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे मांगे गए अनुतोष बाबत वादी प्रार्थी अब कोई कार्यवाही नही चाहता है और वाद/प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से वाद/प्रार्थना पत्र इसी स्तर खारिज कर निस्तारित किया जावे। और वादग्रस्त भूमियों बाबत पक्षकारान मे अब कोई मनमुटाव नही है और वादी प्रार्थी एवं उसके वारिसान भविष्य में वादग्रस्त भूमियों बाबत कोई कार्यवाही नही करेंगें।

अतः यह राजीनामा उभय पक्षो द्वारा पूर्ण होश हवास में बिना किसी दाब दबाव के स्वतंत्र सहमति से निष्पादित कर दिया है जिसको तस्दीक फरमाया जावे।

दिनांक

विनीत वादी प्रार्थी

जागीरसिंह

जागीरसिंह

विनीत प्रतिवादी अप्रार्थीगण

कुन्दन गुर्जर, सतीश गुर्जर, राकेश गुर्जर

Date - 3/12/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - हिण्डोली

अद्य राजीनामा प्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 4,5,6 की ओर से पेश किया। राजीनामा पढ़कर / सुनकर सही होना स्वीकार किया। पक्षकारान को अधिवक्तागणों ने शिनाख्त किया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। शामिल पत्रावली रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जागीरसिंह

(प्रतिवादीगण)

सावरा

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली (बून्दी)
126/प्रा.पत्र/2024

ग्रा. मिसल
10/12/25

जागीरसिंह बनाम देवीलाल वगैरह
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183 राज.टी.एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने
प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण को नोटप्रेस
में खारिज फरमाने बाबत

मान्यवर,

प्रार्थी निम्न प्रार्थना पत्र पेश करता है —

(1) यह कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है जो पत्रावली में पेश होकर तस्दीक किया जा चुका है।

(2) यह कि उक्त प्रकरण में राजीनामा हो जाने के बाद कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। और प्रार्थी अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और प्रार्थी प्रकरण में वांछित अनुतोष भी प्राप्त नहीं करना चाहता है और प्रकरण को नोटप्रेस करता है और इसी आधार पर प्रकरण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नोटप्रेस में खारिज फरमाने की कृपा करें।

दिनांक
10/12/25

जरिये अभिभाषक

विनीत प्रार्थी
जागीरसिंह

सुनीलप्रा/तकदद.